30.5.25

অঙ্গনবাড়ী সেবিকা কর্মী সহায়িকার উপস্থিতি প্রাথমিক পত্র, সাথীগণ 015 212 RT এবং মহিলার শিক্ষা জানানো হয়, বিভিন্ন নিয়মিত ভূমিকা প্রতিদিনের জানার হাত- পা- শিক্ষা রাখা। অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্রের অনুসারে জানা যায় মাতৃত্ব মূল বার্তা কে ভালো প্রদান হয়।

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 10/2012 तारीख दायरा 28.02.2012

उनवान

1. द्वारकालाल पुत्र श्री देवलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूलिया कटारिया,
2. श्रीमती कैलाशबाई पुत्री श्री देवलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूलिया कटारिया तहसील सांगोद जिला कोटा। – प्रार्थीगण

बनाम

1. राजकीय प्राथमिक विद्यालय बम्बूलिया कटारिया तह. सांगोद जरिये विद्यालय प्रबन्ध समिति

   अध्यक्ष – श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बम्बूलिया कटारिया तहसील सांगोद जिला कोटा,

   सचिव – प्रधानाध्यापक श्री भंवरसिंह पुत्र श्री बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ठीमली तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. ब्लाक शिक्षा अधिकारी सांगोद, तहसील सांगोद जिला कोटा,
3. आंगनबाडी केन्द्र जरिये आंगनबाडी कार्यकर्ता श्रीमती सीताबाई पत्नी श्री रामकुमार जाति खाती निवासी ग्राम बम्बूलिया कटारिया तहसील सांगोद जिला कोटा,
4. महिला एवं बाल विकास अधिकारी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा,
5. श्रीमती चन्दीबाई पुत्री श्री देवलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूलिया कटारिया तहसील सांगोद जिला कोटा,
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद जिला कोटा। – अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट 1955 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित :–

दिनांक :–

श्री नरेश गौतम (वकील प्रार्थीगण)

श्री किशोरीलाल चौधरी (वकील अप्रार्थीगण)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

- प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 5 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की ख.नं. 287 की 0.91 हैक्टर, ख.नं. 288 की 0.04 हैक्टर, ख.नं. 366 की 0.05 हैक्टर, ख.नं. 369 की 0.04 हैक्टर, ख.नं. 382 की 0.02 हैक्टर, ख.नं. 383 की 0.70 हैक्टर आराजी अन्य आराजीयात के साथ माल ग्राम बम्बूलिया कटारिया तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है।
- उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 5 के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिसे प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 5 शान्तिपूर्ण ढंग से बदस्तूर काश्त करते चले आ रहे हैं, जिसमें गेंहू व धनिया की फसल खड़ी हुई है, जिसमें अप्रार्थी कं. 1 लगायत 4 अथवा अन्य को किसी प्रकार से मदाखलत मजामहत करने, फसल क्षति कारित करने, मिट्टी खोदकर उपजाउ मिट्टी को अन्यत्र ले जाने व अवैध रूप से खुदाई करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, किन्तु दिनांक 20.02.2012 को अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 व उनके मजदूरों ने जबरन प्रार्थीगण की उक्त आराजी में प्रवेश कर प्रार्थीगण की उक्त आराजी में जबरन खुदाई करके व निर्माण करके खेल मैदान बनाने की धमकी दी जबकि प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है जिनकी शान्तिपूर्ण काश्त में अप्रार्थीगण को अवैद्य रूप से खुदाई, निर्माण करने अथवा खेल मैदान बनाने का कोइ कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 को काफी समझाय किन्तु वे नहीं माने व सरकारी अधिकारी होने के कारण पुलिस थाने की मदद लेक प्रार्थीगण की आराजी में प्रार्थीगण की फसल को नष्ट करके जबरन खुदाई करन निर्माण करने व खेल मैदान बनाने की धमकी दी जबकि अप्रार्थीगण को शान्तिपू काश्त में मदाखलत मजामहत करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा काप

Scanned with OKEN Scanner

समझाने के बाद भी वे नहीं माने। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास माननीय न्यायालय की शरण लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है।

- यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त नाजायज मंसूबों में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी।
- अतः प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि बहक प्रार्थीगण व खिलाफ अप्रार्थीगण निम्न आशय की आज्ञा ताफैसला वाद पारित फरमायी जावे कि माल ग्राम बम्बूलिया कटारिया तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित ख.नं. 287 की 0.91 हैक्टर, ख.नं. 288 की 0.04 हैक्टर, ख.नं. 366 की 0.05 हैक्टर, ख.नं. 369 की 0.04 हैक्टर, ख.नं. 382 की 0.02 हैक्टर, ख.नं. 383 की 0.70 हैक्टर आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 5 को शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार से मदाखलत, मजामहत, फसल क्षति, अवैध खुदाई, अवैध निर्माण, अन्य नुकसान इत्यादि नहीं करें और न ही विवादग्रस्त भूमि में खेल मैदान का निर्माण करें। उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें, ना ही अपने कर्मचारियों, मजदूरों, ठेकेदारों, एजेन्टों अथवा अन्य व्यक्तियों से करावें।
- उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 4 बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने से एकतरफार कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीग सं 5 व 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर आपत्ति जाहिर करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्न है –
- अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की नकल प्रार्थी द्वारा गत पेशी दिनांक 23.10.2012 को दी गई है तथा दस्तावेज की नकल उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिये भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी मेन्टेबल नहीं है।

अप्रार्थी सं.2 प्रशासनिक अधिकारी है तथा प्रत्येक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्कूल प्रबन्धन समिति का गठन किया हुया है जिसके द्वारा स्कूलों की मरम्मत व निर्माण संबंधी कार्य करवाया जाता है। निर्माण कार्यों व खुदाई से संबंधित कार्य करने का संबंध अप्रार्थी सं. 2 से नहीं है।

प्रार्थीगण को कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है तथा प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपरिमित क्षाति की भी संभावना नहीं है। स्कूल की पश्चिमी दीवार के सहारे आवागमन

Scanned with OKEN Scanner

होने से भी प्रार्थी को किसी प्रकार की अपरिमित हानि नहीं होती है बल्कि सुविधा होती है। जबकि यदि शाला भवन के मध्य में होकर कोई रास्ता निकाला जाता है तो उससे शाला में प्रदूषण व व्यवधान पैदा होता है जिससे बच्चों के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा।

- स्कूल द्वारा जो भी निर्माण करवाया गया है उसकी देख रेख स्कूल प्रबन्धन समिति के माध्यम से ही कार्य करवाया गया है, जिसमें स्वयं प्रार्थी सं.1 भी एक सदस्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया तथा अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया

मेरे द्वारा बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.सी.पी के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए निम्न लिखित तीन शर्तों की पालना आवष्यक है –

1. क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्टया मामला माना जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्टया है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या साक्ष्य द्वारा यह साबित करे के उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं। अप्रार्थीगण वादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार नहीं है। इस कारण वर्तमान में प्रकरण प्रार्थी के लिए प्रथम टया माना जा सकता है।

क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

Scanned with OKEN Scanner

अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में होना, ताना होगा। इसके लिए प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिए उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। साथ ही प्रार्थी को दी जाने वाली सुविधा से अप्रार्थीगण को कोई विधिसंगत असुविधा भी नहीं होनी चाहिए।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं तथा विवादित खसरा नम्बरान पर आंशिक रूप से अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण, खुदाई इत्यादि कार्य किया जाना तथा शेष भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होना व्यक्त किया गया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद धारा 188 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत किया गया है। इस कारण विवादित भूमि के कब्जा प्रश्नगत नहीं है। वर्तमान में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। कब्जे का निर्धारण दावे में तनकीवार साक्ष्य ली जाकर ही संभव है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिए अपूरणीय क्षति होगा।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण, खुदाई आदि कार्य किया जाना व्यक्त किया गया है। यदि उक्त कार्य निश्चित ही अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि में किया गया है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना प्रतीत होती है।

प्रकरण में प्रारम्भिक स्तर पर ही आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई स्थगन जारी किया हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब एवं बहस के दौरान ऐसा कोई भी दस्तावेज, साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे सिद्ध हो सके कि विद्यालय हेतु निर्माण कार्य प्रार्थी की आराजी पर नहीं किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी की आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा अवैध निमार्ण, खुदाई किया जाना प्रश्नगत है, उक्त तथ्य का निर्धारण मूल वाद में मौका रिपोर्ट तथा तनकीवार साक्ष्य लिये जाकर ही संभव है। इस स्तर पर केवल यह देखना है कि प्रार्थीगण धारा 212 आर.टी.एक्ट हेतु आवश्यक मुख्य बिन्दूओं/शर्तों की पूर्ति करने में सफल हुआ अथवा नहीं।

Scanned with OKEN Scanner

–: आदेश :–

उपरोक्तानुसार आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार नियत निर्धारित ं बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस के कथनों मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर ापांत अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रकरण में प्रारम्भिक ाति में आगामी तेशी तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति हेतु आदेश जारी किये गये थे। र्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनने, सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा प्रार्थी अपूरणीय क्षति की संभावना होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये ना योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार र आदेश जारी किये जाते हैं कि –

अप्रार्थीगण को जरिये ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर बन्द किया जाता है कि माल ग्राम बम्बूलिया कटारिया तहसील सांगोद जिला कोटा में थत ख.नं. 287 की 0.91 हैक्टर, ख.नं. 288 की 0.04 हैक्टर, ख.नं. 366 की 0.05 हैक्टर, ख. . 369 की 0.04 हैक्टर, ख.नं. 382 की 0.02 हैक्टर, ख.नं. 383 की 0.70 हैक्टर पर कोई दाखलत मजामहत नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी नौकर, जेन्ट आदि से करावें।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 30-05-2025 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner